रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2015/चैत्र 20, 1937
No. 92] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2015/CHAITRA 20, 1937

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2015

फा. सं. 13018/01/2014 – अ.भा.से. (I).— 31 मई, 2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण के पृष्ठ 120-133 पर प्रकाशित भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 13018/01/2014- अ.भा.से. (I) में केन्द्र सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः—

उक्त अधिसूचना में नियम 2 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा नामतः—

"2(I) कोई उम्मीदवार जो सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है, उसे अनिवार्यतः इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली केवल उन्हीं परीक्षाओं के लिए संशोधित वरीयता क्रम दर्शाना होगा। जिनके आबंटन हेतु विचार किए जाने का इच्छुक है और वरीयता के इस संशोधित आदेश से उम्मीदवार द्वारा पहले भरे गये विस्तृत आवेदन पत्र (डीएएफ) का अधिक्रमण हो जाएगा।

(2) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सेवा आबंटन के लिए उम्मीदवार के नाम की सिफारिश की जाने पर सरकार द्वारा उसको उन्ही सेवाओं में से किसी एक सेवा के आबंटन पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि अन्य शर्तें पूरी हो रही हों।

(3) कोई उम्मीदवार जो भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के लिए विचार किए जाने का इच्छुक है, उसे अपनी प्रधान परीक्षा के आवेदन-पत्र में उन विभिन्न राज्य संवर्गों के लिए अपनी वरीयता का क्रम दर्शाना होगा जिसमें वह भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति होने पर आबंटन हेतु विचार किया जाना चाहेगा। उम्मीदवार द्वारा एक बार संवर्ग वरीयता प्रदान करने के पश्चात् कोई बदलाव की अनुमति नहीं होगी।

टिप्पणी-1 : उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए वरीयता क्रम अत्यधिक ध्यानपूर्वक निर्दिष्ट करें। इस सम्बन्ध में, नियमावली के नियम 19 (i) की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

टिप्पणी-2 : उम्मीदवारों को सेवा आबंटन/संवर्ग आबंटन के बारे में सूचना/विवरण के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट www.persmin.nic.in को देखने की सलाह दी जाती है।

टिप्पणी-3 : कोई उम्मीदवार, जो भा.प्र.से./भा.पु.से. के लिए विचार किए जाने हेतु इच्छुक हो, विभिन्न संवर्गों के लिए प्राथमिकता निर्दिष्ट करते समय अत्यंत सावधान रहेगा। उम्मीदवार को अपने विस्तृत आवेदन-पत्र, जिसे सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा के लिए उनके चयन के मामले में भरा जाना है, में प्राथमिकता के क्रम में सभी संवर्गों को निर्दिष्ट करने की सलाह दी जाती है। यदि वह किसी भी संवर्ग के लिए कोई वरीयता नहीं देता है तो यह मान लिया जाएगा कि उसकी किसी संवर्ग के लिए कोई विशिष्ट प्राथमिकता नहीं है।

टिप्पणी-4 : यदि उसे इन संवर्गों में से किसी एक संवर्ग में आबंटित नहीं किया जाता है, उस स्थिति में उसे शेष संवर्गों में से किसी एक संवर्ग जिसमें रिक्तियां हैं, में उन सभी अभ्यर्थियों को आबंटित करने के बाद आबंटित किया जा सकता है।"

गायत्री मिश्रा, निदेशक

टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना सं. 13018/01/2014–अ.भा.से. (I) दिनांक 31 मई, 2014 भारत के राजपत्र के भाग I धारा 1 में दिनांक 19 जून, 2014 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2015

F. No. 13018/01/2014-AIS(I).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training No. 13018/01/2014-AIS(I), published the Gazette of India, Extraordinary, dated 31st May, 2014, at pages 120-133, the Central Government hereby makes the following amendments namely:—

In the said notification for Rule 2, the following rule shall be substituted, namely:—

"2. (1) A Candidate who qualifies in the Civil Services (Main) Examination, 2014 shall be required to mandatorily indicate revised order of preferences only for those services participating in the said Examination for which he is interested to be allocated to and such revised order of preferences shall be in supersession of the earlier order of preferences filled by the candidate in his Detailed Application Form.

(2) In case of recommendation of his name by UPSC for service allocation, the candidate shall be considered for allocation to one of those services by the Government for which he shall indicate revised order of preference subject to fulfilment of other conditions.

(3) A candidate who wishes to be considered for Indian Administrative Service or Indian Police Service shall be required to indicate in his application form for the Main Examination his order of preferences for various State cadres for which he would like to be considered for allotment in case he is appointed to the Indian Administrative Service or Indian Police Service and no change in preference of cadre once indicated by a candidate would be permitted.

Note 1: The candidate is advised to be very careful while indicating preferences for various services or posts. In this connection, attention is also invited to clause (i) of rule 19.

Note 2: The candidates are advised to visit Department of Personnel and Training website www.persmin.nic.in for information or details about service allocation/cadre allotment, service profile.

Note 3: A candidate who wishes to be considered for Indian Administrative Service or Indian Police Service shall be very careful while indicating preferences for various cadres. The candidate is advised to indicate all the cadres in the order of preference in his/her Detailed Application form which is to be filled in case of his selection for the Civil Services (Main) Examination. In case he does not give any preference for any cadre it will be assumed that he does not have a specific preference for any cadre.

Note 4: If he is not allotted to any one of the cadres for which he has indicated preference, he shall be allotted to any of the remaining cadres in which there are vacancies after allocation of all the candidates who can be allocated to those cadres in accordance with their preferences."

GAYATRI MISHRA, Director

Note.—The principal notification number 13018/01/2014-AIS (I), dated the 31st May, 2014 was published in the Gazette of India, Part I, Section 1, dated the 19th June, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.